जिला लोक शिकायत निवारण अधिकार अन्तर्गत लोक प्राधिकारों की दिनांक 25.10.2016 को आयोजित कार्यशाला की कार्यवाही।

श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 25.10.2016 को लोक प्राधिकारों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों की उपस्थिति संलग्न सूची के अनुरूप रही।

उपस्थिति :– सूची संलग्न।

कार्यशाला की विधिवत शुरूआत करते हुए जिलाधिकारी, खगड़िया के द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम–2015 के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को पुनः स्मरण में लाते हुए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर तथ्यपरक जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों को दी गई। उन्होंने लोक प्राधिकारों को इस अधिनियम के माध्यम से आम लोगों की शिकायतों के निराकरण हेतु सभी तरह के अपेक्षित सहयोग एवं निर्देशित कार्रवाई ससमय संपादित करने का निर्देश दिया।

बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया के द्वारा भी इस अधिनियम के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए निम्नांकित खामियों की ओर लोक प्राधिकारों का ध्यान आकृष्ट कराया गया, जिससे कि आने वाले दिनों में लोक शिकायतों के निराकरण की दिशा में सार्थक परिणाम प्राप्त किया जा सके :–

- **सुधारनीय बिन्दु :–**
- ❖ लोक प्राधिकार द्वारा E–mail का नियमित इस्तेमाल नहीं किया जाना।
- ❖ लोक प्राधिकार द्वारा परिवादों के निराकरण के स्थान पर सिर्फ निष्पादन हेतु प्रतिवेदन समर्पित करना।
- ❖ सुनवाई हेतु ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराना।
- ❖ सुनवाई की तिथि को न्यून पद सोपान के कर्मी को प्रतिवेदन के साथ भेजना, जिन्हें परिवाद की कोई जानकारी नहीं होती है।
- ❖ परिवाद के विषय पर गंभीरता पूर्वक विश्लेषण किये बिना कार्यालय के कनीय कर्मियों के प्रतिवेदन को ही आधार बनाकर लोक प्राधिकारों द्वारा प्रतिवेदन समर्पित कर किया जाना।
- ❖ आदेश पारित करने बाद भी लोक प्राधिकारों के द्वारा उसका अनुपालन नहीं करना।
- ❖ सुनवाई के दौरान स्वयं समय पर उपस्थित नही होना और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा बार–बार फोन करने पर किसी कनीय कर्मी को भेज कर खानापूर्ति करना।
- ❖ जब कभी लोक प्राधिकार उपस्थित भी होते है तो वे पूरे मामले से स्वतः भी अवगत नहीं रहते बल्कि अपने अधीनस्थ कर्मियों की जानकारी पर निर्भर पाए जाते है।

इस कार्यशाला के दौरान उक्त अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात दायर किये गये परिवादों एवं उसके निष्पादन/निराकरण तथा लोक प्राधिकारों के प्रतिवेदन के अभाव में लंबित परिवादो से संबंधित कार्यालय–वार प्रतिवेदन से भी उपस्थित लोक प्राधिकारों को अवगत कराया गया जो कि निम्नवत है :–

कार्यालय का नाम	प्राप्त आवेदन	कुल निष्पादित परिवाद	लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन के अभाव में लंबित परिवाद
जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, खगड़िया।	473	316	108
अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, खगड़िया।	779	585	182
अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, गोगरी।	352	257	49

परिचर्चा के दौरान जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा उपस्थित लोक प्राधिकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे प्रतिदिन अपने कार्यालय का ईमेल चेक करें ताकि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के स्तर से भेजे जाने वाले नोटिस एवं संलग्न अनुलग्नकों से वे यथाशीघ्र अवगत हो सके। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी लोक प्राधिकार सूचना प्राप्त होते ही परिवाद को अच्छी तरह से पढ़े एवं उसके अनुरूप अपनी देख–रेख में ससमय प्रतिवेदन तैयार कराते हुए उसे सुनवाई की निर्धारित तिथि अथवा उससे पूर्व संबंधित लोक शिकायत निराकरण पदाधिकारी के कार्यालय में भेजें। उन्होंने कहा कि अक्सर यह पाया जा रहा है कि सुनवाई के अनेक अवसर देने के बावजूद लोक प्राधिकार के स्तर से किसी प्रकार का जबाब दाखिल नहीं किया जाता, जोकि उचित नहीं है।

चर्चा के दौरान लोक प्राधिकारों विशेष तौर पर अंचल अधिकारियों ने इस तथ्य से अवगत कराया कि अनेको परिवाद जो भूमि मापी से संबंधित है, प्राप्त हो रहे हैं लेकिन अमीन के अभाव में उन्हें इसका निवारण करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस विषय पर कार्यशाला में उपस्थित राजस्व शाखा के पदाधिकारी ने आश्वस्त किया कि तत्काल प्रत्येक अंचल हेतु सप्ताह में दो दिन के लिए दो–दो अमीन की प्रतिनियुक्ति की गई है, जबकि खगड़िया तथा अलौली अंचल में उनकी संख्या तीन है।

इसी कड़ी में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोगरी की ओर से नमूने के तौर पर अपने साथ लाये कुछ अभिलेखों का हवाला देते हुए यह बताया गया कि उनके स्तर से अनेक मामलों का निष्पादन लोक प्राधिकर के द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजे जाने के कारण समयबद्धता को देखते हुए कर दिया गया, जबकि यदि लोक प्राधिकार सचेत रहते तो शायद परिवादियों की शिकायत का निवारण उनके स्तर से ही कर दिया गया होता। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कुछ अनन्य संख्या एवं परिवादी के नाम का भी उल्लेख किया जोकि निम्नवत है :–

क0	अनन्य संख्या	परिवादी का नाम	लोक प्राधिकार का नाम
1	521210102071600115	बिन्देश्वरी ठाकुर	अंचल अधिकारी, बेलदौर थाना प्रभारी, बेलदौर।
2	521210101071600110	सत्तन तांती	अंचल अधिकारी, बेलदौर।
3	521210118071600166	मो0 सारजन आलम	अंचल अधिकारी, परबत्ता।
4	521210103081600222	चन्द्रकिशोर खेतान	अंचल अधिकारी, गोगरी।
5	521210127071600207	करूणेश कुमार मिश्र	अंचल अधिकारी, गोंगरी।

कार्यशाला में दी गई इस उपयुक्त जानकारी के उपरान्त जिलाधिकारी की ओर से सभी लोक प्राधिकारों को निम्नांकित निर्देश दिये गये :–

1. सभी लोक प्राधिकार प्रतिदिन अपने समक्ष कार्यालय के **E –mail** की जॉच करायें तथा उस पर आये लोक शिकायत निवारण के सभी नोटिस का प्रिंट आउट निकालतें हुए उस पर त्वरित कार्रवाई करें।
2. लोक प्राधिकार परिवाद के लिए निर्धारित सुनवाई की तिथि के पूर्व वांछित तथ्यात्मक प्रतिवेदन परिवाद के निष्पादन हेतु निर्धारित अधिकतम काल अवधि के समाप्ति का इंतजार किये बगैर समर्पित करें, ताकि परिवादी को बार–बार अगली तारीख का इंतजार न करना पड़े।
3. निर्धारित सुनवाई की तिथि को न्यून सोपान के कर्मी को न भेज कर लोक प्राधिकार या तो स्वयं प्रतिवेदन की साथ उपस्थित हों अथवा विशेष परिस्थिति में पर्यवेक्षक स्तर के कर्मी को ही प्राधिकृत कर भेजें।
4. निर्धारित तिथि को ससमय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष लोक प्राधिकार अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करावें। किसी भी स्थिति में इस हेतु लोक शिकायत निवारण कार्यालय के फोन का इंतजार न करें।
5. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों से लोक प्राधिकार स्वयं भी पूरी तरह से अवगत रहें। मात्र अधीनस्थ कर्मियों की ओर से दिये गये जानकारी को ही अपने प्रतिवेदन का आधार न बनायें।
6. यदि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा किसी मामले के निष्पादन के दौरान कोई निर्देश दिया जाता है तो निर्धारित अवधि के भीतर वैधानिक तरीके से उसका अनुपालन सुनिश्चित करावें ताकि परिवादियों को अपील करने की नौबत न आये।

अनुपालन :– (जिले के सभी लोक प्राधिकार/आई0टी0 सहायक)

अंत में सभी उपस्थित पदाधिकारियों को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम–2015 को पूरी प्रतिबद्धता एवं गंभीरता के साथ कियान्वित कराने हेतु आवश्यक सहयोग करने के निर्देश के साथ सधन्यवाद इस कार्यशाला की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0
जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 84 /जि0लो0शि0नि0का0, दिनांक 03.11.16 /

प्रतिलिपि :– अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडलीय लोक शिकयत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी लोक प्राधिकार, खगड़िया जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया
3/11/16